


कार्यालय निदेशक माध्यमिक, शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

--: कार्यालय-आदेश:--

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11 (7)/वित्त (नियम)/2008 दिनांक 12.09.2008 एवं आदेश संख्या एफ.11 (7)/वित्त (नियम) पार्ट -1/ 2008 दिनांक 06.10.2008 के अनुसरण में राजस्थान शिक्षा सेवा में निम्नांकित अधिकारियों (व्याख्याताओं) को राजस्थान पुनर्शिक्षित वेतनमान नियम 2008 के नियम-19 के तहत उनके नाम के आगे अंकित विवरण अनुसार एसीपी (आश्वासित कैरियर प्रगति), कॉलम संख्या 8 के अनुसार ग्रेड वेतन, कॉलम संख्या 9 में अंकित तिथि से स्वीकृत किया जाता है

क्र.सं.	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान (राजमावि/राजउमावि)	जन्मतिथि	व्याख्याता विषय	प्रथम नियुक्ति तिथि	पद पर कार्यग्रहण तिथि	व्याख्याता पद पर चयन का प्रकार	स्वीकृत एसीपी संवा अवधि	एसीपी स्वीकृति तिथि	वेतन बैंड	स्वीकृत ग्रेड वेतन
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
1	लक्ष्मी नारायण कावरा, इलेडू भोलवाड़ा	01.04.1959	भूगोल	10.12.1985	27.05.2013	11-12	30 वर्ष	10.12.2015	9300-34800	5400
2	धतराम, मलसीसर हनुमानगढ़	01.07.1954	भूगोल	07.07.1983	09.06.2013	07-08	30 वर्ष	07.07.2013	9300-34800	5400

उक्त कार्मिकों का वेतन निर्धारण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जावे। इस स्वीकृति का इन्द्राज सम्बन्धित अधिकारी की लघु पुस्तिका में आवश्यक रूप से अंकित किया जावे।


(नथमल डिडेल)

आई०ए०एस


निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक - 7/9/2018

क्रमांक- शि.वि.श/माध्य/सस्था/सी-5/एसीपी/2018-19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उपनिदेशक (माध्य) शिक्षा,
2. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य),
3. प्रधानाचार्य, राजमावि
4. संबंधित कार्मिक
5. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
6. आई पब्लिका



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर